

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/35/2016-अ.भा.से.-1

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 03 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बिहार एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों की सहमति से, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, आई.ए.एस. (बिहार:2013) का सुश्री रजनी सिंह, आई.ए.एस. (मध्य प्रदेश : 2013) से विवाह करने के आधार पर बिहार संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन नं. 23094142

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मिन्टो रोड,  
नई दिल्ली।